न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **के0सी0 जैन**
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक–1421–तीन/2011 विरूद्ध आदेश दिनांक 23–08–2011 पारित द्वारा अपर आयुक्त रीवा सम्भाग, रीवा प्रकरण क्रमांक–446/निगरानी/2010–2011

.....

1. सुशीला नाई पत्नी रामदयाल नाई
   निवासी–ग्राम बैढ़न (ताली)
2. सरोज नाई पत्नी सूरज लाल नाई
   निवासी– ग्राम नौगढ़ व बैढ़न (ताली)
   तहसील व जिला– सिंगरौली (म0प्र0)

————आवेदिकागण

विरूद्ध

रामप्रसाद नाई पिता रामप्यारे नाई,
निवासी–ग्राम बैढ़न (ताली)
तहसील व जिला– सिंगरौली (म0प्र0)

————अनावेदक

.....

श्री आर0डी0 शर्मा, अभिभाषक, आवेदक
श्री के0के0 द्विवेदी, अभिभाषक, अनावेदक

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 27-7-16 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण क्रमांक 446/निगरानी/2010–11 पारित आदेश दिनांक 23–08–2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि, उक्त विवादित भूमि कुल किता 14, कुल रकबा 1.458 हैक्टर में आवेदिकागण के पिता नन्हई का नाम 2/3 हिस्सा में 1/4

हिस्सा था। आवेदिकागण के पिता की मृत्यु दिनांक 30.12.2007 को हो गई । पिता के स्थान पर अपना नामांतरण किये जाने हेतु तहसीलदार सिंगरौली के समक्ष नामांतरण का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। न्यायालय तहसीलदार सिंगरौली के यहां प्रकरण क्रमांक 148/अ—6/2008—09 पर पंजीबद्ध होकर पारित आदेश दिनांक 11.05.2009 को नामांतरण का आवेदन स्वीकार कर लिया गया । इसी आदेश के विरूद्ध अनावेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी सिंगरौली के समक्ष दिनांक 30.12.2010 को अवधि बाह्य अपील मय धारा 5 के अधीन आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । जिसमें अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 28.03.11 को विलम्ब माफ आवेदन स्वीकार कर लिया गया । उक्त आदेश से परिवेदित होकर आवेदिकागण ने न्यायालय कलेक्टर सिंगरौली के यहॉ निगरानी प्रस्तुत की गई । कलेक्टर सिंगरौली ने दिनांक 08.04.11 को निगरानी निरस्त कर दिया । जिसके विरूद्ध आवेदिकागण द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त रीवा के यहॉ निगरानी प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त द्वारा कलेक्टर सिंगरौली के आदेश को विधि सम्मत मानते हुये दिनांक 23.08.2011 को निगरानी खारिज किया गया । अपर आयुक्त रीवा के इसी आदेश से परिवेदित होकर आवेदिकागण द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत कर यह बताया है कि, अनावेदक ने जो धारा 5 का आवेदन अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया था, वह फर्जी एवं झूठा था । धारा 5 के जवाब में आवेदिकागण द्वारा शपथ—पत्र प्रस्तुत कर अधीनस्थ न्यायालय को अवगत कराया था कि अनावेदक को तहसीलदार के आदेश की जानकारी पूर्व से थी, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इस बिन्दु पर ध्यान ही नहीं दिया और अपील निरस्त कर दी गई । प्रथम अपील न्यायालय के समक्ष सर्वप्रथम प्रश्न यही था कि क्या अनावेदक को तहसील न्यायालय के आदेश की जानकारी पूर्व से थी अथवा नहीं । इस तथ्य को आवेदिकागण ने अपने जवाब में स्पष्ट किया है । किन्तु प्रथम अपीलीय न्यायालय गुणागुण की सुनवाई तथा टाला जाना अनुचित है। आवेदिकागण द्वारा जवाब में उठायी गई आपत्तियों क्योंकर अविश्वसनीय है, इस विषय में कोई ठोस कारण नहीं दिये गये। इस प्रश्न पर पुनरीक्षण न्यायालयों द्वारा विचार न कर त्रुटि की गई है । उन्होंने तर्क में यह भी बताया है कि परिसीमा के पश्न पर निर्णय करते समय इस सिद्धांत पर विचार किया जाना चाहिये कि विलंब क्षमा किये जाने से एक पक्ष को अनुचित लाभ न हो तथा दूसरे पक्ष को अनावश्यक हानि न उठाना पड़े। अनावेदक का दावा

तथाकथित वसीयतनामा पर आधारित है । यदि अनावेदक के पक्ष में तथाकथित वसीयतनामा था तब वह नन्हई आवेदिकागण के पिता की मृत्यु दिनांक 30.12.2007 से अब तक अर्थात 4 वर्ष तक क्यों चुप बैठा रहा अर्थात नामांतरण के लिये पहल क्यों नहीं की गई । वास्तविकता यह है कि, आवेदिकागण के पिता नन्हई ने अनावेदक के पक्ष में कोई वसीयत नहीं की है । तथाकथित वसीयत फर्जी है । अतः निगरानी स्वीकार कर अपर आयुक्त, कलेक्टर एवं अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त करें ।

4/ अनावेदक के अभिषक द्वारा अभिलेख के आधार पर प्रकरण का निराकरण करने का निवेदन किया गया है ।

5/ मेरे द्वारा उभयपक्षों के अधिवक्ताओं के तर्क सुने गये तथा अभिलेखों का अवलोकन किया गया । अभिलेखों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता हैं कि तहसीलदार के द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.05.09 के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी, सिंगरौली के न्यायालय में निगरानी 31.12.2010 को प्रस्तुत की गई थी, जिससे अपील विलम्ब होने के कारण अनुविभागीय अधिकारी ने दिनांक 28.03.2011 को अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को माफ कर दिया गया है । तहसीलदार के न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 148/अ–6/2008–09 को देखने से स्पष्ट होता है कि अनावेदक को प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया गया, बल्कि मध्यप्रदेश शासन को पक्षकार बनाकर प्रकरण निगरानीकर्ता के द्वारा प्रस्तुत किया गया था । इससे यह स्पष्ट होता है कि अनावेदक को बिना पक्षकार बनाये प्रकरण दर्ज किया गया था । इसलिये जानकारी दिनांक से अनावेदक को लाभ प्राप्त होना चाहिये था । यही निष्कर्ष कलेक्टर सिंगरौली एवं अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में निकाला गया है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहूँचा हूँ कि कलेक्टर सिंगरौली द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.04.2011 एवं अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.08.2011 विधिसंगत होने से उसमें हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती । अतः दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के द्वारा पारित आदेश स्थिर रखा जाता है और आवेदक के द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज की जाती है । अभिलेख दखिल रिकार्ड हो ।

(के0सी0 जैन)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,मध्प्रदेश,
ग्वालियर,